

# आचार संहिता और नैतिकता उपहार और मनोरंजन पर नीति

नैतिकता और कानूनी अनुपालन | ISSUED: May 1, 2014 – REVISED: December 4, 2024

व्यावसायिक उपहार और मनोरंजन देना या प्राप्त करना अक्सर बिजनेस असोप्सएट्स के प्लए एक दूसरे के प्रति शिष्टाचार और सम्मान दिखाने का उप्चत तरीका है, लेक्कन ये उपहार या मनोरंजन उप्चत कीमत के होने चाहिए और इसके कारण बिजनेस या सरकारी कार्रवाई में अनुप्चत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह नीति Magna International Inc. और इसके सभी संचालन समूहों, प्रभागों, संयुक्त उद्यमों और अन्य वैश्विक संचालनों (सामूहिक रूप से, "Magna") पर लागू होती है। यह नीति Magna की ओर से काम करने वाले सभी लोगों, जैसे क्र इसके कर्मचारियों, अधिकारियों, निदेशकों, सलाहकारों और एजेंटों (सामूहिक रूप से Magna के व्यक्ति) पर लागू होती है।

"उपहार और मनोरंजन" कोई भी मूल्यवान वस्त् होती है, जिसमें निम्नामाखत शामिल हैं:

- ग्इस/वस्त्
- भोजन और पेय पदार्थ
- ईवेंट के टिकट
- परिवहन
- छूट
- नकद

- सेवाएं
- गाड़ी का उपयोग या छ्वी की स्वधाएं
- यात्रा खर्च
- नकद समकक्ष
   (जैसे एाफ्ट कार्ड या एाफ्ट सर्टिफ्केट)
- पुरस्कार
- एहसान

जहां भी प्रतिबंधित न हो, Magna के कर्मचारी बिजनेस असो। सएट्स से व्यावसायिक उपहार और मनोरंजन ले सकते या उन्हें दे सकते हैं, बशर्ते कि उपहार या मनोरंजन की कीमत ज्यादा नहीं होनी चाहिए और स्थित के अनुरूप होनी चाहिए। मामूली पैमाने पर व्यावसायिक उपहार और मनोरंजन अच्छे व्यावसायिक संबंध बनाने के वैध साधन हैं। जैसे कि कभी-कबार भोजन का आमंत्रण, प्रमोशनल वस्तुएं, और खेल या अन्य कार्यक्रमों के टिकट देना या स्वीकार करना कुछ परिस्थितियों में उध्वत हो सकता है।

इन शर्तों में उपहार और मनोरंजन के आदान-प्रदान से Magna की आचार संहिता एवं नैतिकता का उल्लंघन नहीं होगा - (i) इनका आदान-प्रदान इस नीति सहित स्वीकृत व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार होना चाहिए (ii) इसके कारण फ़िसी प्राप्ताष्ट निर्णय प्रभाप्तित नहीं होना चाहिए, और (iii) यह लागू कानूनों के अनुसार उप्चित होना चाहिए। Magna के जिस भी व्यक्ति को अगर फ़िसी प्राप्ताष्ट उपहार या मनोरंजन के आदान-प्रदान की उपयुक्तता या वैधता के बारे में प्रश्न है तो उसे Group या Regional Legal Counsel या Regional Compliance Officer (समूह या क्षेत्रीय कानूनी परामर्शदाता या क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारी) से पूछना चाहिए।



## जब अनुमति दी जाए

उपहार और मनोरंजन सिर्फ निम्नामाखत शर्तों पर प्राप जा सकते हैं::

- अगर वे उपचत हों:
- कभी कबार हों;
- साधारण मृल्य के हों; और
- व्यय रिपोर्ट्स और Magna के ब्क्स और रिकॉर्ड्स में सही और पारदर्शी रूप से दर्ज क्रिए जाते हों।

समय-समय पर, हम देश-प्राप्ताष्ट दिशा-निर्देशों को अपना सकते हैं या उनमें संशोधन कर सकते हैं, जिसमें उस देश में "मामूली" और "उप्वत" उपहार और मनोरंजन के बारे में और अध्धक जानकारी शाप्मल हो सकती है। हमारे देश-प्राप्ताष्ट दिशानिर्देशों की वर्तमान सूची के प्लाए अनुसूची A देखें।

## जब अन्मति न दी जाए

यह महत्वपूर्ण है का उपहार और मनोरंजन कभी भी

- व्यवसाय या सरकारी निर्णय लेने को अन्ष्यत रूप से प्रभाष्यत न करें;
- दूसरों पर अनुप्यत प्रभाव न डालें;
- हितों के टकराव की स्थिति पैदा न करें।

फ़िसी भी परिस्थिति में आपूर्तिकर्ता, ग्राहक या Magna के साथ व्यापार करने वाले फ़िसी भी व्यक्ति से कभी भी फ़िसी भी प्रकार के उपहार या मनोरंजन नहीं मांग नहीं की जानी चाहिए। इसका मतलब यह है फ़ि आपको सीधे तौर पर यह नहीं पूछना चाहिए या ना ही ऐसे संकेत नहीं देने चाहिए फ़ि उपहार या मनोरंजन देना स्वीकार्य है या वांछित है।

#### सरकारी कर्मचारी

सरकारी कर्मचारियों को उपहार देना या मनोरंजन प्रदान करना जोएखम भरा हो सकता है और कानून के एवरुद्ध भी हो सकता है। जब तक एक आपको अनुपालन नियंत्रण प्राक्कया - सरकारी कर्मचारियों पर व्यय (रिश्वत और अनुप्तात भुगतान पर Magna की नीति भी देखें) के अनुसार Disclose It! एसस्टम से एनएबत अनुमति न एमले, आपको कभी भी सरकारी कर्मचारियों को उपहार की पेशकश या मनोरंजन प्रदान नहीं करना चाहिए।

सरकारी अधिकारियों में वे लोग शाम्मल हैं जो सरकार के किए काम करते हैं, जैसे अधिकारी या कर्मचारी, साथ ही राजनीतिक उम्मीदवार, राजनीतिक दल और उन्हें समर्थन देने वाली सम्मितयां भी शाम्मल हैं। राज्य के स्वाम्मत्व वाले या नियंत्रित इकाइयों को भी इस नीति और रिश्वत और अनुष्वत भुगतानों पर नीति के प्रयोजनों के किए सरकारी अधिकारी माना जाता है, जब तक कि Magna और व्यवसायक इकाई के बीच संबंध प्रकृति में व्यशुद्ध रूप से वाव्याज्यिक न हो। Magna का कोई भी व्यक्ति जो उपहार देना चाहता है या मनोरंजन की पेशकश करना चाहता है, वह यह जांचने के किए बाध्य है कि प्राप्तकर्ता कोई सरकारी अधिकारी है या किसी सरकारी कंपनी में काम करता है।

## नकद (और नकद के समान, जैसे । गफ्ट कार्ड)

नकद (या नकद के समान, जैसे एगफ्ट कार्ड) देना या प्राप्त करना तब तक अनुमत नहीं है, जब तक एक यह स्थानीय रीति-रिवाजों के अंतर्गत स्वीकार्य न हो (उदाहरण के प्लए, जापान या दाक्षण कोरिया में) और आपको इसकी पूर्व अनुमति प्राप्त हो। इस अपवाद के प्लए अईता प्राप्त करने के प्लए, आपको पहले उस क्षेत्र के Vice President of Legal से प्लाखत अनुमति प्राप्त करनी होगी जहां उपहार दिया जाएगा।



#### अच्छी का परख का उपयोग

Magna की प्रतिष्ठा को अनुष्वत व्यवहार के आरोपों से बचाना प्रत्येक Magna व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसफ्रए, Magna के कर्मचारियों को उपहार और मनोरंजन देते या प्राप्त करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, ताक्र यह सुनिश्चित हो सके क्र व्यावसायिक और सरकारी निर्णय ईमानदारी से क्ष्मए जाएं, कानून और स्थानीय व्यवसायिक रीति-रिवाजों का पालन क्षम्या जाए, और ये Magna के सर्वोत्तम हित में हों। इसके अलावा, Magna के अधिकांश ग्राहक उपहार और मनोरंजन के बारे में सख्त नियम रखते हैं जो उनके अपने कर्मचारियों और आपूर्तिकर्ताओं पर भी लागू होते हैं। ग्राहक के कर्मचारियों को कोई भी उपहार या मनोरंजन केवल तभी ही दिया जाना चाहिए जब ग्राहक के आंतरिक नियमों द्वारा इसकी अनुमति हो।

यह निर्धारित करना क्र क्या स्वीकार्य है, परख पर निर्भर करता है। उपहार या मनोरंजन की पेशकश की उपयुक्तता अक्सर प्रासंक्षाक तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उसके उद्देश्य और प्रभाव से निर्धारित होती है। सामान्यतः, उपहार या मनोरंजन का मूल्य जितना अधिक होगा, या इसे जितनी अधिक बार दिया जाएगा, इसका आदान-प्रदान करना उतना ही कम उध्वत होगा। इस बारे में सोचें क्र क्या उपहार या मनोरंजन को सार्वजनिक करने पर Magna को शार्मंदगी महसूस होगी।

#### उल्लंघन

Magna अनुपालन संबंधी क्रिसी भी उल्लंघन को सहन नहीं करेगी। ऐसे क्रिसी भी उल्लंघन को गंभीर मामला माना जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें नौकरी की समाप्ति भी शाक्ष्मल है।

यदि आपको पता है या अंदाजा है क्र Magna की आचार संहिता और आचार नीतत संहिता या इस नीति के उल्लंघन में कोई शाक्रिल है तो आपको अपने संबंधित व्यक्ति (i) आपके प्रबंधक (ii) Divisional or Group Finance Officer (प्रभागीय या समूह क्रित्त अधिकारी) (iii) Group or Regional Legal Counsel (समूह या क्षेत्रीय कानूनी सलाहकार) (iv) Regional Compliance Officer (क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारी) या Magna Hotline के माध्यम से, सूचना देकर रिपोर्ट करनी चाहिए;

Magna एक ऐसी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के Lसए भी प्रतिबद्ध है जिसमें ऐसे संभाधित उल्लंघनों के बारे में धिंताओं को प्रतिशोध के डर के बिना व्यक्त क्रिया जा सकता है। इसी कारण, Magna की प्रतिशोध-धरोधी नीति ऐसे क्रिसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ प्रतिशोध को प्रतिबंधित करती है जो ईमानदारी से और सद्भाव रखते हुए कोई समस्या बताता है।

## उपयोगी सुझाव

#### हमेशा...

- सुनिश्चित करें क्र उपहार और मनोरंजन उष्चित, कभी-कबार, मामूली मूल्य के हों और लागू कानूनों, व्यनियमों, स्थानीय रीति-रिवाजों और ग्राहक की आंतरिक नीतियों के अन्रूप हों।
- यह निर्णय लेने में अपने (प्रवेक का उपयोग करें क्रि "उप्रत" क्या है, और यह ध्यान में रखें क्रि "साधारण मूल्य" क्या माना जाता है, यह स्थानीय जीवन स्तर और रीति-रिवाजों पर निर्भर करता है।
- जहां भी संभव हो, यह स्निश्चित करें क्र उपहार और मनोरंजन क्रिसी व्यक्ति को न देकर क्रिसी संगठन को दिया जाए।
- क्रिसी भी सरकारी अधिकारी को उपहार या मनोरंजन देने से पहले, अनुपालन नियंत्रण प्रक्रिया सरकारी अधिकारियों पर व्यय का पालन करते हुए, Disclose It! क्रिस्टम के माध्यम से अनुमित प्राप्त करें।
- उपहार या मनोरंजन देते या प्राप्त करते समय हितों के टकराव की संभावना का मूल्यांकन करें।
- Magna आचार संहिता और नैतिकता और इस नीति के प्रतिकूल, उपहार या आतिथ्य के फ़िसी भी प्रस्ताव को प्वनम्रतापूर्वक मना करें।
- किसी मध्यस्थ या तीसरे पक्ष के माध्यम से दिए गए या प्राप्त उपहार या मनोरंजन को प्रत्यक्ष रूप से पाए गए उपहार या मनिरंजन ही मानें।



- उपहार और मनोरंजन के प्लए सभी अनुमित और अस्वीकृतियों का रिकॉर्ड रखें, जिसमें उद्देश्य, शाप्मल पक्षों के नाम, और उपहार या मनोरंजन की प्रकृति और मूल्य शाप्मल हों।
- यदि आपको कोई उपहार या मनोरंजन की पेशकश की जाती है या आप ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको लगता है कि वह उचित मूल्य से अधिक है या अनुष्यत हो सकता है, तो अपने प्रबंधक, Group Management के सदस्य, अपने Group or Regional Legal Counsel (समूह या क्षेत्रीय कानूनी परामर्शदाता), या Regional Compliance Officer (क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारी) से सलाह और पूर्व अनुमति लें।

#### यह कभी नहीं करें...

- अगर कानून द्वारा प्रतिबंधित हो उपहार या मनोरंजन न दें।
- व्यावसायिक या सरकारी निर्णय को प्रभाष्मत करने के क्लाए उपहार या मनोरंजन की पेशकश करना या देना।
- उपहार या मनोरंजन स्वीकार न करें यदि ऐसा करने से निष्पक्ष निर्णय लेना कठिन हो जाए (उदाहरण के प्लए, अनुबंध बोली, नेगो। एएशन या पुरस्कार के दौरान), या यदि यह आम तौर पर स्वीकृत व्यावसायिक प्रथाओं के प्रारुद्ध हो।
- उपहार के रूप में ऐसे उत्पाद या सेवा छूट की पेशकश या स्वीकार करना जो सभी कर्मचारियों के Lनए उपलब्ध नहीं है
- फ़िसी आपूर्तिकर्ता, ग्राहक या अन्य पक्ष, जिसके साथ Magna का व्यवसाय है, से फ़िसी भी प्रकार का उपहार या मनोरंजन का अनुरोध या आग्रह न करें। इसका मतलब यह है फ़ि आपको सीधे तौर पर यह नहीं पूछना चाहिए या ना ही ऐसे संकेत नहीं देने चाहिए फ़ि उपहार या मनोरंजन देना स्वीकार्य है या वांछित है।
- Magna की आचार संहिता और नैतिकता या इस नीति का अनुपालन करने से बचने के क्लए क्रिसी उपहार या मनोरंजन के क्लिए
   व्यक्तिगत रूप से भ्गतान करना।

#### इनसे सावधान रहें...

• Magna के प्रतिस्पर्धियों के प्रतिनिधियों के साथ उपहार या मनोरंजन का आदान-प्रदान करना, क्योंक्र ऐसी कार्रवाई क्रालीभगत या अन्य प्रतिस्पर्धा-क्रारेधी व्यवहार का आभास दे सकती है।

#### अधिक जानकारी के प्लए:

और अधिक जानकारी या सलाह के प्लिए कृपया अपने Group or Regional Legal Counsel (समूह या क्षेत्रीय कानूनी सलाहकार), Regional Compliance Officer (क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारी) या Magna के Vice-President, Ethics and Chief Compliance Officer (नैतिक और मुख्य अनुपालन अधिकारी) से संपर्क करें।

Issued: May 1, 2014 Revised: December 4, 2024

Next Review: Q3 2027

Issued By: Ethics & Legal Compliance
Approved By: Magna Compliance Council



## अनुसूची A - देश-विशिष्ट मार्गदर्शन

उपहार और मनोरंजन पर नीति - चीन के क्रिए दिशानिर्देश